



सं./No. 5-1(845)/2023-PD

Dated 01.06.2026

कार्यालय ज्ञापन/OFFICE MEMORANDUM

विषय: संशोधित मानस के पैरा 2.3.4 के अंतर्गत दो वर्ष पूर्व मूल्यांकन के बारे में।

Sub: Two-year early assessment under Para 2.3.4 of Revised MANAS - reg.

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि महानिदेशक, सीएसआईआर ने ए.वि.प्र., सीएसआईआर के परामर्श से यह निर्णय लिया है कि संशोधित मानस के पैरा 2.3.4 के अंतर्गत दो वर्ष पूर्व मूल्यांकन का लाभ, अगले आदेश तक स्थगित रखा जाएगा।

The undersigned is directed to state that DG, CSIR, in consultation with IFD, CSIR has decided that the benefit of Two-years early Assessment under Para 2.3.4 of Revised MANAS shall be kept in abeyance till further orders.

(अमरेन्द्र कुमार/Amrendra Kumar)

अवर सचिव (नीति प्रभाग)/Under Secretary (PD)

प्रतिलिपि/Copy to:

1. सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान
The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units
2. सीएसआईआर वेबसाइट/CSIR Website
3. कार्यालय प्रति/Office copy